भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1458
उत्तर देने की तारीख 15.12.2022

सरकारी खरीद नीति

1458. श्री मोहनभाई कुंडारिया:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सरकारी खरीद नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार असूचीबद्ध निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को सफल निविदाकर्ताओं के लिए विक्रेता के रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के तहत वेंडर के रूप में भाग लेने के लिए सभी संबंधित विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के 'उद्यम पंजीकरण पोर्टल' पर पंजीकृत होना जरूरी है।

****